

## आदेश

दिनांक-11.11.2024 को आयोजित विभागीय अनुकंपा समिति की बैठक में समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सेवाकाल में मृत कर्मियों की निम्नलिखित नाबालिक आश्रितों बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त प्रस्ताव को उनके नाम के सामने कॉलम-4 में अंकित कारणों से लंबित किया गया है :-

क्र० सं०	आश्रित का नाम/मृतक से संबंध	मृतक का नाम/पदनाम/पदस्थापन	अभियुक्ति
1	2	3	4
1	शिवम कुमार/ पुत्र	स्व० संजय कुमार शर्मा/रसोईया/ बि०वि०स०पु०-02, डिहरी	<b>लंबित</b> सिपाही संवर्ग में नहीं है। (पुलिस मैनुअल के अध्याय-2 के अनुसार पुलिस कर्मी नहीं रहने के कारण) सा०प्र०वि० से मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त अनुकंपा समिति की बैठक में रखा जायेगा।
2	रिशु राज/ पुत्र	स्व० राकेश कुमार राम/ हवलदार-06/ बांका जिलाबल	<b>लंबित</b> अनुकंपा समिति का वृत संलग्न नहीं है।
3	मो० इरफान/ पुत्र	स्व० मो० महफूज आलम/ स०अ०नि०/ नालंदा जिलाबल	<b>लंबित</b> अनुकंपा समिति का वृत संलग्न नहीं है।
4	आनंद राय/ पुत्र	स्व० रामू राय/ कुंक/ मुंगेर जिलाबल	<b>लंबित</b> सिपाही संवर्ग में नहीं है। (पुलिस मैनुअल के अध्याय-2 के अनुसार पुलिस कर्मी नहीं रहने के कारण) सा०प्र०वि० से मार्गदर्शन प्राप्त करने के उपरान्त अनुकंपा समिति की बैठक में रखा जायेगा।
5	गोलू कुमार/ पुत्र	स्व० बच्चा शर्मा/ स०अ०नि०/ नालंदा जिलाबल	<b>लंबित</b> विहित प्रपत्र के खण्ड-2 के कंडिका-8 में नियंत्रण पदाधिकारी या विभागाध्यक्ष की अनुशंसा अंकित नहीं है।
6	अभिषेक कुमार/ पुत्र	स्व० अनिल कुमार सिंह/ सिपाही/ कटिहार जिलाबल	<b>लंबित</b> अनुकंपा समिति का वृत संलग्न नहीं है।
7	पंकज कुमार/ पुत्र	स्व० हीरालाल कुमार/ सिपाही/ कैमूर जिलाबल	<b>लंबित</b> विहित-प्रपत्र संलग्न नहीं है। सभी प्रमाण-पत्र छायाप्रति है, जो अभिप्रेषित नहीं है।
8	अमृत राज/ पुत्र	स्व० अम्बिका राम/ स०अ०नि०/ अररिया जिलाबल	<b>लंबित</b> बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा अधिक हो जाने के कारण अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु सिपाही के पद के लिए नियमानुसार कार्रवाई जिला स्तर से किया जा सकता है।
9	आदित्य राज/ भाई	स्व० तृप्ति कुमारी/ म०सि०-1223/ पटना जिलाबल	<b>लंबित</b> अनुकंपा समिति का वृत संलग्न नहीं है।

10	आदित्य राज/ पुत्र/पि0व0	स्व0 विनोद कुमार/ पी0टी0सी0- 5190/पटना जिलाबल	लंबित अनुकंपा समिति का वृत संलग्न नहीं है।
11	रोशन कुमार/ पुत्र/अनु0जा0	स्व0 टुनटुन कुमार/ सिपाही- 785/सारण जिलाबल	लंबित विहित प्रपत्र के खण्ड-2 के कडिका-8 में नियंत्रण पदाधिकारी या विभागाध्यक्ष की अनुशंसा अंकित नहीं है।

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),  
बिहार, पटना।

पत्र संख्या:-कल्याण-01-01-58-2024 / 4.6.2.....

बिहार पुलिस मुख्यालय  
(कार्मिक एवं कल्याण प्रभाग)

पटना, दिनांक :- 29.11.2024

प्रतिलिपि:-

- वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, बाँका/नालंदा/कटिहार  
/अररिया/कैमुर/मुंगेर/सारण को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ  
प्रेषित।
- समादेष्टा, बि0वि0स0पु0-2, डिहरी-ऑन-सोन, बिहार, पटना को कृपया  
सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।  
- संबंधित पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपर्युक्त आवेदकों के प्रस्ताव से  
संबंधित त्रुटियों का निराकरण करते हुए वांछित प्रतिवेदन यथाशीघ्र पुलिस  
मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।
- आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
क्रियार्थ प्रेषित।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कल्याण),  
बिहार, पटना।